

हत्या के मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने दबालपुर इलाके में बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्याकांड मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपित को गिरफ्तार किया है। साल 2020 के इस मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपित की पहचान अशोक कुमार (42) के रूप में हुई। आरोपित को जयपुर (राजस्थान) के स्थानीय नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। आरोपित अशोक कुमार मूल रूप से अग्रारा के एस्मादपुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या लूटपाट के मकसद से की गई थी। पहले से गिरफ्तार दो आरोपितों का रिश्ता आरोपित अशोक कुमार के साथ मामा-भाजे का है। स्पेशल सेल के टीमींपी मनोज जी के मुताबिक इस मामले में पुलिस टीम आरोपित के भाजे के कमल और कमल के भेटे के पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं जैसे में हैं। पिरपत्र आरोपित अशोक कुमार इस हत्याकांड में लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और बार-बार उपर और राजस्थान में अपने ठिकानों को बदल रहा था। ताकि पुलिस को उसके ठिकानों का पता नहीं चल सके। आरोपित अशोक को जुलाई 2023 में जमात खिली थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। इसके बाद उसको दिल्ली की कड़कड़ामों कोर्ट ने भोगाड़ घोषित कर दिया था। स्पेशल सेल की टीमींपी को आरोपित के जयपुर के शासी नगर इलाके में छिपे होने की गुन सचना मिली थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार तथा योगी के दिशा निर्देशों में सह इंस्पेक्टर लवी तोमर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने अशोक के ठिकानों को लिए पक्षियों तउ भी कई जगहों पर घोषणाएँ की। इस दौरान मुख्यिर दो गुन सचना मिली थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार तथा योगी के द्वारा हत्या की गयी थी। उसको पकड़ने के लिए एक टीम को जयपुर रखा किया गया। 24 जून को पता चला कि वह जयपुर के स्थानीय नगर में छिपा हुआ है और जयपुर छोड़ने वाला है। उसके जयपुर छोड़ने से पहले ही टीम ने उसके ठिकानों को रप्त घोषित किया। आरोपित अशोक कुमार से पुलिस पूछातां में बताया गया है कि उन्हें अपने साथी आरोपित बादल व कमल के साथ मिलकर लूटपाट करने के मकसद से दबालपुर थाना अंतर्गत इलाके में एक बुद्ध महिला की गला दबाकर हत्या की थी।

उत्तर रेलवे					
इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई-प्राप्ति के अंतर्गत					
मारक के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख युवा सामग्री प्रबंधक उत्तर रेलवे नई दिल्ली-110001 द्वारा इच्छित फार्मों से निम्नलिखित मदों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है-					
क्र. सं. निविदा रंग.					
01 19240678	संलग्न विवरण	मात्रा	वित्ति तिथि		
02 19240681	वाइपर ब्लेट फोर 3-फेज	3486 नग	17.07.2024		
03 09242405	बोल्टर स्प्रिंग इनर फोर	6359 नग	17.07.2024		
04 08195281H	ट्रिसोर बी-एवरफ रिडिंग	530	19.07.2024		
05 12241192	सिंगल कोर एस्ट्रोमैटिक केबल	59800	सीटर		
06 01241151	आउट गोइग केबल लीढ़	96 नग	22.07.2024		
07 09242111	झारप गियर अंगूजेंट	510 नग	23.07.2024		
08 19240751	प्रोलॉयरट ऑफ विलोजेंट	07 नग	29.07.2024		
09 19240687	गोर्फ एर पर फोटो इंडिकेटर	149 नग	29.07.2024		
10 12241920	पीवीसी इंडिलेट डिसिगल कोर मल्टी साल 4 5.0mm	84271	सीटर		
11 07243460	सेल्फरी लेटर डेम्पर कोर	1762 नग	31.07.2024		
12 19240707	सेट ऑफ एर पिण्ड पिनियन	40 सेट	05.08.2024		
13 19240665	किट कोर डायरेक्ट ब्रेक	127 सेट	19.08.2024		
14 19240591	सेट ऑफ एलईडी लाइट्स	163 नग	02.09.2024		
15 19244450	बैरिंग फोटोहाईट्री ट्रैक्सन मोटर	190 नग	09.09.2024		
16 07241495	पिण्डिन (20 टीम)	212 नग	12.09.2024		
17 19244451	बैरिंग फोटोहाईट्री ट्रैक्सन मोटर	157 नग	16.09.2024		
18 19240583	फिट कोर ईंटी रिले वाल्व	81 सेट	16.09.2024		
19 07242050	बैरिंग स्लेट (फिनिश मर्सिन्ड) कोर	10024	नग		
20 19240701	ट्रैम्पर लैर संसेट अंडेंसली कम्पलेट	193 नग	07.10.2024		
21 19240803	सेट ऑफ सिंगल डक्ट लेटर बिलो	74 नग	07.10.2024		

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें। जो सकती है। 2. मेनुवाल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी।
टेलर नोटिस सं: 27/2024-25 दिनांक: 26.06.2024

1911/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1911/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

1908/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा शर्त: 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखें।

हरियाणा में लगातार व्यापारी व उद्योगपतियों से फिरोती मांगी जा रही है- बजरंग गर्ग

आरोप

► हरियाणा सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है- बजरंग गर्ग



पर मिले और सारी घटनाक्रम की जानकारी दी। व्यापार मंडल के प्रतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने अंटी मार्केट में पहुंचकर व्यापारियों की मीटिंग दी और श्री गर्ग ने कहा कि बजरंग ही नहीं पूरे हरियाणा में लगातार व्यापारी व उद्योगपतियों से फिरोती मांगी जा रही है। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में

ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता साथ लूटपाट, अपहरण, हत्या व फिरोतीयों की वारदात नहीं होती है। हरियाणा सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आज प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति व हर नागरिक भव्य के साथ में जी रहा है। आज क्राईम के मालेमें हरियाणा नंबर बन रहा है। आज हरियाणा में व्यापारी, उद्योगपति तो क्या बहन-बेटियों का सुरक्षा नहीं है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षा है और हरियाणा में अपराधी चुस्त है। अपराधी खुले आम अपराध कर रहे हैं और सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है।

बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में ऐसे ही अपराध बढ़ता रहा तो प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति प्रदेश से पलायन कर जाएगा। पहले भी भय के कारण कान्ही व्यापारी हरियाणा से पलायन कर चुके हैं। सरकार को व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारी चलाना चाहिए और अपराधियों का पक्का इलाज करना चाहिए ताकि कोई भी अपराधी हरियाणा में अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। अपराध को रोकने के लिए व्यापार मंडल के तरह से सरकार आयोजित हुई, जिसमें बूंदी कलब की ओटी मार्केट, फैसल 1, 2, 3 व 4 पूरी रूप से बदल रहे हैं। अपराधी चुले आम अपराध कर रहे हैं और सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है।

पिछड़ा वर्ग के वोट के लिए माजपा कर रही लोकलुभावन घोषणाएं : खोवाल

चुनावी स्टंट



► हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को बरगताने की कांशिश कर रही भाजपा : खोवाल

टीम एक्शन इंडिया/हिसार :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए की गई धोणाओं को हरियाणा कांग्रेस लोगल टिप्पटमेंट ने चुनावी स्टंट बताया है। हरियाणा कांग्रेस लोगल डिप्पटमेंट के प्रदेश अध्यक्ष इडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि पिछले दस वर्षों से केंद्र व हरियाणा में भाजपा की सरकार है लेकिन भाजपा ने कभी पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगाता है। उन्होंने कहा कि दोनों बार बड़े-बड़े बदले कर और पिछड़ा वर्ग को सुधारने की ज़रूरत होती है। अब अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के मंदेनजर भाजपा एक बार फिर वही स्टंट रख रही है। अब बैकवर्ड समाज को श्रमित करने के लिए लोकलुभावन धोणाएं की जा रही हैं। खोवाल ने कहा कि अब भाजपा का पदार्थका हो चुका है और जनता उसके बहकवार में नहीं आने वाली है।

एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिष्ठक राहगांधी कुमारी सैलजा ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जारी जनगणना करवाने, पचास प्रतिशत की कैप को खत्म करने, जनसंख्या

के मुताबिक आरक्षण का प्रावधान करने सहित सभी मार्गों को पूरा करने का आहान किया है, इसलिए भाजपा खोलाई हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना करवार कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की गई क्रीमीलेवर की गैरकान्ती व असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491 संख्या (1) 2021 दिनांक 17 नवंबर 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द कराया जाए एवं जो अधिसूचना हरियाणा में सन 1995 से 2016 तक लागू चली आ रही थी वही अधिसूचना क्रमांक संख्या 1170 एसडब्ल्यू 195 चंडीगढ़ दिनांक 7.6.1995 को ही पुरी बहाल किया जाए यहां पर भाजपा वार्ग को खोला दिया है तो तुरंत प्रभाव से जातीय जनगणना बनावर कर उस जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सुधारने की नींद नहीं लगता है।

